

Court of DLR - Nagpur canton

आदेश की क्रम और तारीख	पाना 217 कांड सं 25 12-13 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

closed.


23/5/12

कर्मचारी श्री राम लाल उद्योग पिना एच 0 अन्तु उद्योग
 श्री श्रीराम उद्योग पिना एच 0 महर्षि उद्योग कर्ना ग्राम
 श्री राजी शेला शिपमिया काना - खरौली जिला जयपुर
 के संयुक्त रूप से कारखाने के कार्य निष्पन्न
 किये जाने की वृत्ति श्री सरयु उद्योग पिना एच
 रामदेवी उद्योग जयपुर राजी काना - खरौली
 जिला - जयपुर के स्थानों पर कार्य करने की अनुमति
 मांगी है।

श्री श्रीराम

ग्राम - राजी	रकबा	एकड़	रकबा	मंजूर
142	755	0.55	37 - 1/2	37 - 1/2
			37 - 1/2	उद्योग
			37 - 1/2	श्रीराम उद्योग
			37 - 1/2	कारखाने उद्योग
			37 - 1/2	श्रीराम उद्योग

अंचल अधिकारी, खरौली से दिनांक 23/6/12
 तक जांच अधिकारी की मांग को।


 श्रीराम उद्योग (उद्योग निदेशक)
 नगर उद्योग

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अंचल अधिकारी स्वरोप्री के पत्रांक 226 दिनांक 21-12-12 से प्राप्त हुआ है, जिसमें जॉंच प्रतिवेदन एवं आम ईदतार की तामिला प्रति प्राप्त हुआ। जॉंच प्रतिवेदन में प्रतिवेदक किता जाया है कि केला एवं किजेता देना एक ही धाना के निवासी हैं एवं एक ही जाति उराँव (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। प्रवनाजन भूमि विक्री के पश्चात आवेदक (विक्रेता) भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। आवेदक द्वारा लिखित ध्यान भी दिया गया है कि मैं किसी के हवाक या वस्फाके में नहीं आकर अपनी भूमि विक्री करूँ यदा काले हेतु कर रहा हूँ।

अतः अंचल अधिकारी के जॉंच प्रतिवेदन एवं लिखित ध्यान के आलोक में आवेदक रामलजन पिता वचन उराँव (2) हरिदास उराँव पिता एवं महादेव उराँव सा० राजी धाना स्वरोप्री जिला गढ़वा के निम्न वर्णित भूमि केला कर उराँव पिता श्रीरामदेवी उराँव सा० राजी धाना स्वरोप्री के द्वारा भूमि विक्री करने की - सुझाव दी जाती है।

भूमिका विवरण।

ग्राम	खाना	खोटा	रफा	चौधरी
राजी	142	755	0-55	उत्तर- 303 40-रती उराँव 30-शमशेर आँक से कामेश्वर आँक प०-वीर प्रताप उराँव।

अपर निबंधिक पदाधिकारी, नगर उत्तरी के एवं आवेदक के सूचित करें।

लेखापित। संशोधन
अनुमंडल पदाधिकारी
नगर उत्तरी

अनुमंडल पदाधिकारी
नगर उत्तरी